मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क.प्राविवि/समाधान–ऑनलाईन/2014/संविसं/२५७१ भोपाल, दिनांक 16 जुलाई 2014

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
समस्त विभागाध्यक्ष,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी/प्रबंध संचालक/संचालकः राज्य शासन के समस्त निकाय/निगम/मण्डल/प्राधिकरण/समितियां/उपक्रम आदि
समस्त संभागायुक्त, मध्य प्रदेश
समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्य प्रदेश,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,नगरीय निकाय, मध्य प्रदेश

Accd

विषयः–बैंक में संचालित विभिन्न खातों के मासिक मिलान करने बाबत्।

=0=

राज्य शासन की अनुमति अथवा संबंधित निकाय/निगम/मण्डल/प्राधिकरण/समितियां/उपक्रम आदि द्वारा सक्षम अनुमोदन के साथ बैंक में खाते खोले जाकर संधारित किये जाते हैं। इन खातों के माध्यम से हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बैंक खाते से चैक काटे जाकर उपलब्ध कराये जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक खाते से भुगतान हेतु जारी किये गये चैक का भुगतान जारी होने के दिनांक से 3 माह की अवधि निर्धारित की गई है। राज्य शासन के संज्ञान में यह आया है कि हितग्राहियों को जारी किये गये चैक का भुगतान नहीं होने से हितग्राही को योजना अंतर्गत लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। अतः निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं कि:–

अ. <u>बैंक खातों से जारी चैकों के मिलान हेतु–</u>

1. विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जारी किये गये चैक तथा भुगतान हेतु प्रस्तुत किये गये चैक का प्रत्येक माह समाधान पत्रक (reconciliation statement) तैयार किया जाये तथ मासिक मॉनिटरिंग की जाये।
2. रोकड़ बही/बैंक बही तथा बैंक की पासबुक/बैंक स्टेटमेंट के आधार पर मासिक समाधान पत्रक (reconciliation statement) तैयार किया जाये।
3. यदि हितग्राही द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित 3 माह की अवधि में चैक का भुगतान बैंक से प्राप्त नहीं किया जाता है तो ऐसे हितग्राहियों द्वारा पूर्व में जारी मूल चैक जमा करने पर ही नया चैक जारी किया जा सकता है। इस हेतु हितग्राही से एक आवेदन/वचन–पत्र प्राप्त किया जाये कि किस कारणों से उसके द्वारा चैक का भुगतान नहीं लिया जा सका।

4. यदि किसी हितग्राही द्वारा चैक गुमा दिया गया है तो ऐसे चैक का भुगतान रोकने हेतु प्रथमतः बैंक को stop payment की सूचना लिखित में दी जाये। बैंक द्वारा अपने अभिलेख में यह सूचना दर्ज करने पर हितग्राही से अण्डरटेकिंग प्राप्त करने के पश्चात ही नया चैक जारी किया जाये। सामान्यतः, चैक जारी होने की तिथि से तीन माह की अवधि व्यतीत होने के उपरान्त ही नया चेक जारी किया जाये।

5. यदि चैक बैंक द्वारा गुमा दिया गया है तो भी ऐसे चैक का भुगतान रोकने हेतु प्रथमतः बैंक को stop payment की सूचना लिखित में दी जाये। बैंक द्वारा अपने अभिलेख में यह सूचना दर्ज करने पर ही हितग्राही से अण्डरटेकिंग प्राप्त करने के पश्चात नवीन चैक प्रदान किया जाये। सामान्यतः, चैक जारी होने की तिथि से तीन माह की अवधि व्यतीत होने के उपरान्त ही नया चेक जारी किया जाये।

ब. <u>बैंक खाते से सीधे हितग्राही के बैंक खाते में आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम से किये गये भुगतानों के मिलान हेतु–</u>

भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के संदर्भ में विभिन्न शासकीय योजनाओं अंतर्गत हितग्राही को दिये जाने वाले लाभों की राशि सीधे हितग्राही के खाते में जमा की जा रही है। हितग्राही के खाते में राशि जमा करने हेतु प्रथमतः निम्नांकित बातों का ध्यान रखा जाना आवश्यक है,

अ. हितग्राही का किसी भी बैंक में बैंक खाता हो, जो की चालू खाता अथवा बचत खाता हो सकता है। फिक्स्ड डिपाजिट, रिकरिंग डिपाजिट, दैनिक डिपाजिट आदि खातों में सीधे राशि अंतरित नहीं की जाये।

ब. हितग्राही के खाते में राशि अंतरित करने के पूर्व हितग्राही का नाम, जैसा की बैंक खाते में अंकित है, सही खाता कमांक, बैंक का नाम एवं शाखा का नाम, बैंक का आई0एफ0एस0सी0 कमांक होना आवश्यक है। बैंक खाता कमांक एवं आई0एफ0एस0सी0 महत्वपूर्ण होता है।

स. बैंक खाते से हितग्राही के खाते में राशि अंतरित करने हेतु आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0 सुविधा का उपयोग किया जाये। जहां बैंक द्वारा सीधे साफ्ट फाईल प्राप्त की जाकर राशि अंतरित की जानी हैं, ऐसी स्थिति में साफ्ट फाईल बैंक को भुगतान हेतु भेजने के पूर्व सही फाईल भेजने की पुष्टि अवश्य कर ली जाये।

द. बैंक द्वारा हितग्राही के खाते में राशि अंतरित करने के पश्चात कतिपय कारणों से राशि हितग्राही के खाते में जमा नहीं होने पर ऐसी राशि उसी दिवस अथवा अगले कार्यदिवस में संबंधित खाते में पुनः जमा हो जाती है। अतः, दैनिक आधार पर ऐसे बगैर भुगतान के लौटे प्रकरणों की सूची अनिवार्यतः बैंक से प्राप्त की जाये। बैंक से सूची प्राप्त की जाकर ऐसे हितग्राही के बैंक खाते की जानकारी में सुधार करते हुए राशि पुनः सम्प्रेषण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

ई. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि विभाग द्वारा जिस दिन बैंक को राशि अंतरित करने हेतु अधिकृत किया गया है, बैंक द्वारा हितग्राही के खाते में राशि उसी दिवस अथवा अधिकतम अगले कार्य दिवस तक अंतरित करते हुए जमा कर दी गई है। यदि किसी परिस्थितिवश बैंक द्वारा उक्त अवधि में राशि जमा नहीं की जाती है तो बैंक द्वारा ऐसे हितग्राही को भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार विलंबित अवधि के लिये ब्याज का भुगतान भी करना पड़ सकता है। अतः ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होने दी जाये।

फ. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आर0टी0जी0एस0 तथा एन0ई0एफ0टी0 हेतु जारी किये गये सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) इस संचालनालय की वेबसाईट www.dif.mp.gov.in तथा भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाईट www.rbi.org.in पर उपलब्ध हैं।

उक्त निर्देशों का तत्काल कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

16.7.2014

(आशीष उपाध्याय)
प्रमुख सचिव, वित्त विभाग
एवं विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
एवं आयुक्त संस्थागत वित्त

पृ.क.प्राविवि/समाधान–ऑनलाईन/2014/संविसं/3500 भोपाल, दिनांक 16 जुलाई 2014

प्रतिलिपिः–

1. अवर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, म0प्र0शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, म0प्र0शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, भोपाल।
4. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, मध्य प्रदेश, भोपाल।
5. राज्य स्तरीय प्रमुख, समस्त सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक।
6. राज्य स्तरीय प्रमुख, समस्त निजी क्षेत्र के बैंक।
7. अध्यक्ष, समस्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मध्य प्रदेश।
8. समस्त अग्रणी जिला प्रबंधक, मध्य प्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

16.7.2014

प्रमुख सचिव, वित्त विभाग
एवं विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
एवं आयुक्त संस्थागत वित्त